



कार्यालय:- वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल।

वन भवन-1, हजारीबाग, 825301 (झारखण्ड)

E-mail: dfo.hazaribageast@yahoo.com; Telefax No. 06546-272461

पत्रांक : 2469

दिनांक : 20/06/17

सेवा में,

विद्युत कार्यपालक अभियन्ता,
झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड,
संचरण प्रमंडल,
हजारीबाग।

विषय :- हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल अन्तर्गत गिरिडीह जिला में मौजा- बड़की सरिया, टोला-
मंघनियाँ में 132/33 के0वी0 पावर सब-स्टेशन निर्माण हेतु 4.05 हे0 जंगल झाड़ी
दर्ज भूमि के अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्र संख्या-
वनभूमि-13/2017-2333 व0प0, रांची दिनांक 01.06.2017 एवं वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग का ज्ञापांक 1586 दिनांक 13.06.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है, कि विषयगत परियोजना हेतु, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल के अन्तर्गत 4.05 हे0 वनभूमि (जंगल-झाड़ी) वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या- 11-09/98-FC दिनांक 13.05.2011 एवं 25.12.2016 द्वारा प्रदत्त शक्ति के आलोक में राज्य सरकार के प्रासांगिक पत्र के माध्यम से 12 शर्तों के साथ सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है। राज्य सरकार द्वारा लगाये गये शर्त संख्या-02 के अनुपालन हेतु मांग-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है। यदि प्रस्तावित वनभूमि का शुद्ध वर्तमान मुल्य (NPV) दर में वृद्धि होती है तो संशोधित वृद्धि दर पर बकाया राशि विभाग के पक्ष में जमा करना होगा। साथ ही राज्य सरकार द्वारा लगाये गये अन्य सभी शर्तों का कंडिकावार अनुपालन प्रतिवेदन यथाशीघ्र समर्पित करें, ताकि अग्रोत्तर कार्रवाई किया जा सके।

अतः अनुरोध है, कि मांग-पत्र के अनुरूप भुगतये राशि कैम्पा खाता संख्या- SB01025212 at Corporation Bank, CGO Complex, Phase-I, Lodhi Road, New Delhi- 110003 (RTGS/IFSC No- CORP0000371, and SB Account No- 344902010105420 of Union Bank of India, Sundar Nagar, New Delhi-110003(RTGS/IFSC No- UBIN0534498) through RTGS/NEFT mode में सीधे जमा करते हुए प्राप्ति रसीद इस कार्यालय में समर्पित करें।

अनुलग्नक:- यथोक्त

विश्वासभाजन

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल।

मांग-पत्र

हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल अन्तर्गत गिरिडीह जिलान्तर्गत मौजा-बड़की सरिया, टोला- मंथनियों में 132/33 के 0वी0 ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण हेतु 4.05 हे0 वनभूमि (जंगल-झाड़ी) अपयोजन के प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या-11-09/98-FC दिनांक 13.05.2011 एवं दिनांक 25.02.2016 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आलोक में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची का ज्ञापांक वनभूमि-13/2017-2331 व0प0, रांची दिनांक 01.06.2017 द्वारा सशर्त सैद्धान्तिक सहमति के आलोक में :-

01	शर्त संख्या-‘ख’ के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत 4.05 हे0 वनभूमि (जंगल-झाड़ी) का शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) रु. 626000/- प्रति हेक्टेयर	2535300.00
कुल		2535300.00

(पच्चीस लाख पैंतीस हजार तीन सौ) मात्र

✓
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल।
2016

FP/JH/Others/20982/2016.

(2)

(2)

Ad-hoc

Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority
Constituted by the Hon'ble Supreme Court of India, by Order dated 5th May 2006 in
IA No.1337 with IA Nos.827, 1122, 1216, 1473 in
WP (Civil) No.202 of 1995 : T N Godavarman Thirumalpad Vs Union of India & Ors.

4th floor, Block No.3, CGO Complex, New Delhi – 110 003
Tel No.(011) 24368006. FAX No.(011) 24368007. E-mail : adhoc-campa-mef@nic.in

No.1-16/2012-CAMPA

Dated the 7th April, 2018.

To

Nodal Officer (CAMPA),
O/o Principal Chief Conservator of Forests, cum Executive Director
Wasteland Development board
Government of Jharkhand,
Van Bhawan, P.O. Hinoo, Doranda,
Jharkhand, Ranchi 834002.

Sub.: Diversion of 4.05 ha of forest land for construction of 132/33 KV at Saria Grid Sub-station, Forest Div
& Distt Giridith (Nonlinear Project) of Jharkhand.

Sir,

With reference to your letter No.431 [received by post on 17th April, 2018] on the subject mentioned above, the following is confirmed as under :-

S.No	Proposal No	FP/JH/Others/20982/2016		
1	Type of deposit (NPV/CA/WMP/other (specify))	Amount	UTR/DD No.	Date of Deposit
a	Compensatory Afforestation	-	-	-
b	Addl Compensatory Afforestation	-	-	-
c	Penal Compensatory Afforestation	-	-	-
d	Catchment Area Treatment	-	-	-
e	Wildlife Management Plan	-	-	-
f	Addl Charges	-	-	-
g	Net Present Value	Rs. 25,35,300 /-	SBINR52017071300056351	13.7.2017
h	Any other charges/levies	-	-	-
	Total	Rs. 25,35,300 /-		

The above mentioned the credited to SB A/c No.25212 maintained in the name of Compensatory Afforestation Fund – Jharkhand in Corporation Bank, Lodhi Complex, New Delhi – 110 003

Yours faithfully,

(Signature)
7/5/18

(Naresh Kumar)

Deputy Inspector General of Forests

Copy to:-

1. The Additional Principal Chief Conservator of Forests (Central), Regional Office, Ministry of Environment Forests and Climate Change, Bungalow No. A-2, Shyamali Colony, Ranchi-834002
2. The Assistant Inspector General of Forests (Shri Nisheeth Saxena), Forest Conservation Division, Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Aliganj, Jor Bagh, New Delhi – 110 003.
3. PPS to IGF, Forest Conservation Division, Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Jor Bagh, Aliganj Road, New Delhi-110003.

(Signature)
7/5/18

(Naresh Kumar)